न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील निर्वाचन सं0 34/2020

1. प्रियंका कुमारी पत्नी सुनील कुमार
2. सुनील कुमार पुत्र श्री रमेश चन्द शर्मा
3. हेमन्त शर्मा पुत्र श्री रमेश चन्द शर्मा
4. रमेश चंद पुत्र गैंदी राम शर्मा
5. सविता पत्नी रमेश चन्द शर्मा
6. लक्ष्मी पत्नी दीनदयाल
7. दीनदयाल पुत्र महादेव

जातियान शर्मा, निवासीयान शिव नगर, वार्ड संख्या 1 कस्बा बयाना जिला भरतपुर (राज0)

8. दौलत राम पुत्र नवल सिंह धाकड
9. इन्दुवाला पत्नी दौलत राम धाकड
10. मुन्नी पत्नी नवल सिंह धाकड

जातियान धाकड, निवासीयान भगवती कॉलोनी, वार्ड संख्या 1 कस्बा बयाना जिला भरतपुर (राज0)

.... अपीलांट्स

बनाम

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम) बयाना

.... रेस्पोडेन्ट

अपील खिलाफ आदेश दिनांक......................
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम)
बयाना ।

निर्णय **दिनांक : 07.12.2020**

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.17 13:16:44 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील विरूद्ध आदेश निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस. डी.एम.), बयाना जिला भरतपुर दिनांक ... के पेश की है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

...र हैं कि अपीलान्ट संख्या 01 लगायत 07 शिव नगर वार्ड सं0 1 में व अपीलान्ट संख्या 8,9,10 भगवती कॉलोनी वार्ड सं01 में निवास करते हैं । अपीलान्ट्स ने फार्म नं0 3 मय राशनकार्ड व अन्य दस्तावेज के वार्ड सं01 कस्बा बयाना की मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु पेश किया था, जिस पर बी0एल0ओ0,गिरदावर व पटवारी ने अपीलान्ट के वार्ड सख्या 01 में होने की पुष्टि करते हुए वार्ड संख्या 01 कस्बा बयाना की मतदाता सूची में नाम जोड़ने की अभिशंषा की है किन्तु निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), बयाना ने बिना किसी कारण व आधार के आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया है । अपीलान्ट्स द्वारा अपील स्वीकार कर अपीलान्ट्स के नाम वार्ड संख्या 01 कस्बा बयाना की मतदाता सूची में जोड़ने की प्रार्थना की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), बयाना से तहत पत्रावली व टिप्पणी तलव की गई, जो संलग्न मिसिल है।

पत्रावलियों का अवलोकन किया। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.) बयाना ने अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि " **अपीलान्ट संख्या 1,2,3,5 के द्वारा अपने आवेदन प्रारूप 03 के साथ निवास सम्बन्धी कोई दस्तावेज पेश नहीं किए हैं। ऐसी स्थिति में बिना साक्ष्य सबूतों के आधार पर नगर पालिका बयाना की निर्वाचक नामावली, 2020 में नाम जोड़ा जाना उचित नहीं है । अपीलान्ट संख्या 4,6,7,8,9,10 के नाम वैर विधान सभा क्षेत्र की भाग संख्या 116 सुहास में दर्ज हैं और इसी ग्राम की पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में भी इनके नाम दर्ज हैं। अन्य स्थान पर नाम दर्ज होने से मतदाता सूची में नाम अंकित नहीं किया जा सकता है "।**

अपीलान्ट संख्या 1,2,3,5 के द्वारा वार्ड संख्या 01 कस्बा बयाना में आवासरत होने सम्बन्धी कोई दस्तावेज अपने आवेदन के साथ प्रस्तुत नहीं करने से इनके नाम मतदाता सूची में नहीं जोड़े गए हैं । इसी प्रकार अपीलान्ट संख्या 4,6,7,8,9,10 के नाम वैर विधान सभा क्षेत्र की भाग संख्या 116 सुहास की मतदाता सूची में होने के साथ साथ इसी ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में भी इनके नाम दर्ज हैं। **राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान जयपुर के परिपत्र दिनांक 09.11.2020 के दिशा निर्देशों के अनुसार यदि आवेदक के पूर्व में किसी अन्य क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में नाम अंकित हो तो वर्तमान नगरपालिका निर्वाचक नामावली में नाम नहीं जोड़ा जा सकता है एवं** किसी व्यक्ति का नाम दो ... पर नहीं हो सकता। ई0आर0ओ0

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.17 13:16:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी

...ाना द्वारा पारित अपीलाधीन आज्ञा विधिवत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते हैं। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है ।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट्स खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ तहत पत्रावली वापिस लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 07.12.2020 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.17 13:16:44 IST
Reason: SelfAttested